ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ।। जाब एण्ड सिंध बैंक

Punjab & Sind Bank ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ पी. एस. बी. (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

प्र.का. लेखा एवं लेखा परिक्षा विभाग "शेयर कक्ष" बैंक हाऊस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 **H.O. Account & Audit Department** "SHARES CELL" Bank House, 1st Floor 21, Rajendra Place, New Delhi-110008

Phone: 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax: 25781639, 15728919, Email: complianceofficer@psb.co.in

संदर्भ/Ref. No.

Ref: PSB/HO/Shares Cell/

/2021-22

दिनांक/Dated:

June 28, 2021

To,

Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, 25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400 001. SCRIP ID: PSB

SCRIP CODE: 533295

National Stock Exchange of India Ltd.,

Exchange Plaza, C - 1, Block - G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

SYMBOL: PSB SERIES: EQ

Dear Sir,

Reg: Notice for Eleventh Annual General Meeting of the Bank on 20.07.2021

We are forwarding a copy of Notice for Eleventh Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 20th July, 2021 at 11.00 a.m.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

ompany Secretary

AGM NOTICE 2020-21



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम) प्रधान कार्यालयः 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

ई-मेल: www.psbindia.com

नोटिस

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की ग्यारवीं वार्षिक सामान्य बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 को सुबह 11:00 बजे (बैठक के लिए स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय ही होगा) से निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:-

मद संख्या 1

31 मार्च 2021 तक बैंक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, तुलन पत्र और लेखा पर लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा सिम्मिलित की गई अविध के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाने के लिए।

मद संख्या 2

बैंक के शेयर प्रीमियम खाता से रु. 35,77,54,66,746.23/- का संचित हानियों का विनियोग है।

विचार करने और विचार करने पर उपयुक्त होने पर, विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव को पारित करने के लिए:-

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 ("धारा") के 3 (2BBA) के संदर्भ में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) के खंड 17(2) के राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के पद 21, वितीय सेवा विभाग राजपत्र अधिसूचना सं. सीजी-डीएल-ई-23032020-218862 (एस.ओ. 1200 ई) के दिनांक 23.03.2020 जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 2020 से लिया गया है, इसका संशोधन किसी भी वैधानिक संशोधन सहित या उसके पुनः अधिनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन, भारत सरकार तथा ऐसे अन्य प्राधिकरण जो इस संबंध में आवश्यक हो सकते हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमित होनी चाहिए तथा एतद्द्वारा बैंक के संचित घाटे रु. 35,77,54,66,746.23/-(तीन हजार पाँच सौ सत्रह करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार सात सौ छियालीस रुपये एवं तैईस पैसे केवल) दिनांक 31 मार्च, 2021 को समायोजित करने के लिए दिया जाता है। जिसको बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में डाल कर बकाया शेष को निर्धारित दिनांक तक तथा उसको वितीय वर्ष 2021-22 में ही खातों को लेकर उपयोग करते है।

"संकल्पित किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने का उद्देश्य, बोर्ड या बोर्ड की कमेटी या बोर्ड के द्वारा अधिकृत अधिकारों को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों को करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा चीजें जो वह अपने पूर्ण विवेक पर आवश्यक समझ सकती है या संकल्प को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वांछनीय तथा किसी भी प्रश्न, समस्या या शंका को, इस संबंध में उत्पन्न हो सकता है।

बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 23.06.2021

एस कृष्णन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008
www.psbindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Tuesday, the 20th July, 2021 at 11.00 a.m.** (the Head Office of the Bank will be the deemed venue of the Meeting) to transact the following business:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2021, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

Appropriation of accumulated losses of Rs.35,77,54,66,746.23 from Share Premium Account of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("Act"), Section 17 (2) of the Banking Regulation Act, 1949 ("BR Act"), Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, vide the Department of Financial Services Gazette notification no. CG-DL-E-23032020-218862 (S.O. 1200 E) dated 23.03.2020 referred to as Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020, as amended, including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the bank's accumulated losses of Rs.35,77,54,66,746.23 (Rupees Three Thousand Five Hundred Seventy Seven Crore Fifty Four Lakhs Sixty Six Thousand Seven Hundred and Forty Six and Twenty Three Paisa only) as at 31st March, 2021 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial year 2021-22."

"RESOLVED FURTHER that for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board or officials of the Bank as authorized by the Board are hereby **authorized** to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit".

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi S Krishnan
Date: 23.06.2021 Managing Director & CEO

<u>टिप्पणियां</u>

1. विडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। परिपन्न संख्या 20/2020 दिनांकित 05.05.2020 तथा परिपन्न संख्या 02/2021 दिनांकित 13.01.2021 के साथ पिठत कंपनी मामलों के मंत्रालय के परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांकित 08.04.2020, परिपन्न संख्या 17/2020 दिनांकित 13.04.2020 (सामूहिक रूप से संदर्भित "एमसीए परिपन्न") के साथ पिठत भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपन्न संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12.05.2020 तथा एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15.01.2021 के अनुसरण में कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम स्वामित्व की अनुमति 31.12.2021 तक है।

उक्त प्रावधानों के अनुपालन में, विडियों कॉफ्रेसिंग (वीसी) के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों के लिए वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ग्यारवीं एजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत कार्यवाह संख्या की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। एजीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से किया जाएगा, इस नोटिस में रूट मैप संलग्न नहीं है, यह सचिवीय मानक 2 के अंतर्गत आवश्यक नहीं है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसार, शेयरधारकों की भौतिक उपस्थित अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थित पर्ची इस नोटिस में संलग्न नहीं है।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की निय्क्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/या ई-वोटिंग के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित प्रति बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 15 जुलाई, 2021 को अपराह्न 05:00 बजे या इससे पहले प्रधान कार्यालय, 21- राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 में जमा नहीं हो जाता या संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल द्वारा नहीं भेजा जाता है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजी जाती है।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर का संवरण :

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बुक, **बुधवार 14.07.2021 से** मंगलवार, 20.07.2021 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) बंद रहेगा।

व्याख्यात्मक विवरणी:

बैठक के व्यापार के संबंध में वास्तविक तथ्यों को समायोजन करने वाले व्याख्यात्मक विवरण साथ ही तथा नोटिस के भाग भी संलग्न है।

6. इलेक्टॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

मेबी (सूचीयन तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) अधिनियम 2015, एमसीए पिरपत्रों के साथ पिठत संशोधित कंपनी नियम 2015 द्वारा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाज़ारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधानों के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में सरोकार करने के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। ई-वोटिंग के माध्यम शेयरधारकों के मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि मंगलवार, 13.07.2020 है।

NOTES

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, there is restriction on the movement and the need to observe social distancing norms. Pursuant to Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January 2021 read with Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 permit holding of AGM for the calendar year 2021 through VC/OAVM up to December 31, 2021

In compliance with the above provisions, Annual General Meeting of the shareholders of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) which does not require the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 11th AGM shall be the Head Office of the Bank. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

2. APPOINTMENT OF PROXIES:

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on **15th July 2021.**

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank, will remain closed from **Wednesday**, **July 14**, **2021 to Tuesday**, **July 20**, **2021** (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

5. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and forms part of the notice.

6. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through remote e-voting / e-voting is Tuesday, 13th July, 2021.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

॥ सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पूर्व तथा पश्चात वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओं के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक इत्यादि जिन्हें पहले आओ पहले पाओं के आधार की शर्तों के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमित है, शामिल नहीं होंगे।

- III. शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :-
 - दूरस्थ ई-वोटिंग अविध शुक्रवार, 16.07.2021 (पूर्वाह्न 10:00 बजे) को प्रारंभ होगी और सोमवार, 19.07.2021 (अपराह्न 05:00 बजे) समाप्त हो जाएगी। इस अविध के दौरान बैंक के शेयरधारक जिसके पास अंतिम निर्धारित तिथि मंगलवार, 13.07.2021 को शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अपना मतदान ईलैक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दी जाएगी।
 - शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व मतदान कर दिया है, बैठक स्थान पर मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
 - iii. सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020 के 44अधिनियम के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया(लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के अंतर्गत अधिनियम 2015 में, शेयरधारकों के प्रस्ताव के संबंध में, शोयरधारकों के लिए, सूची बद्ध संस्थाएं हेतु दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा की आवश्यकता होती है। फिर भी देखा गया है कि गैर संस्थागत शेयरधार को/रिटेल शेयरधारकों को जनता द्वारा भागीदारी में अमान्य माना गया है।

वर्तमान में, भारत में, कई ई-वोटिंग सेवा उपलब्ध (ईएसपी) सूचीबद्ध संस्थाएं है, जोकि ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। शेयरधारकों के विभिन्न ईएसपी तथा कई यूजर आईडी तथा पासवर्ड को बनाए रखने हेतु पंजीकरण आवश्यक है।

वोटिंग प्रक्रिया को बेहतर करने के संबंध में, जनता के परामर्श के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि समस्त डीमेट खातों के धारकों को ई-वोटिंग हेतु योग्य, एक बार ही लॉग-इन परिचय पत्र द्वारा, अपने डीमेट खाते/ डिपॉजिटरी की वेबसाइट/ डिपॉजिटरी सहभागी द्वारा की जाएगी। ईपीएस में पुन: पंजीकरण किए बिना ही डीमेट खाताधारक अपना वोट दे सकते हैं। उससे, न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करना बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी और सुविधा को भी बढ़ाना है।

iv. सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020 के अंतर्गत लिस्टिंड कंपनी तथा प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक, ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को पास डीमेट खाता रखने हेतु, डीमेट मोड ही उपलब्ध होगा। ई-वोटिंग सुविधा को पाने हेतु शेयरधारको को सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाईल नं. तथा ई-मेल को डीमेट खातों में अयतन करें।

II. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

- III. The instructions for shareholders for remote e-voting and e-voting during AGM and joining the meeting through VC / OAVM are as under:
 - i. The remote e-voting period begins at 10:00 a.m. on Friday, 16th July, 2021 and ends at 05:00 p.m. on Monday, 19th July, 2021. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of Tuesday, 13th July, 2021, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
 - ii. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.
 - iii. Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/ retail shareholders is at a negligible level.
 - Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.
 - In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.
 - iv. In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.



उपरोक्त सेबी परिपत्र का अनुसरण करते हुए, डीमेट मोड में, प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हेतु ई-वोटिंग हेतु लॉग-इन विधि तथा आभासी बैठकों में शामिल होने की विधि इस प्रकार हैं :-

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन विधि
सीडीएसएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभृति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन यूजर्स ने सीडीएसएल/ऐजी/ऐजीएस सुविधा को चुना है, वे अपनी मौजूदा यूजर आई डी तथा पासवर्ड के द्वारा लॉग-इन कर सकते है। किसी अन्य प्रमाणीकरण के बिना ही ई-वोटिंग पेज पर विकल्प उपलब्ध है। ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी के लॉग-इन हेतु यूजर को यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login है या www.cdslindia.com पर जाए तथा लॉग-इन आईकन पर क्लिक करें तथा प्रणाली मायईएसी को चुनें। 2. ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी यूजर के सफलतापूर्वक लॉग-इन के जिए ई-वोटिंग का विकल्फ, योग्य कंपनियाँ को विकल्प मिलेगा, कंपनी नें सुविधा उपलब्ध करने के संबंध में ई-वोटिंग प्रक्रिया में है। ई-वोटिंग विकल्प को क्लिंक करने पर या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना तथा बैठक के दौरान वोटिंग करने हेतु दूरस्थ ई-वोटिंग अविध के दौरान, ई-वोटिंग सर्विस प्रदाताओं हेतु यूजर को ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। अतिरिक्त, ई-वोटिंग सर्विस प्रदाताओं हेतु, प्रणाली के प्रयोग करने हेतु लिंक उपलब्ध है जैसे CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, तािक ई-वोटिंग सर्विस प्रदाताओं को सीधा ही वेबसाईट को देख सकें। 3. यदि यूजर ने ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी पर पंजीकृत नहीं किया है, तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक, www.cdslindia.com के होम पेज पर ई-वोटिंग लिंक द्वारा डीमेट खाता सं. तथा पैन नं. को हम सीधा ही ई-वोटिंग पेज से प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाली यूजर के डीमेट में डाले गए पंजीकृत मोबाईल नं. तथा ई-मेल पर ओटीपी को भेज कर प्रमाणित किया जाता है। जहाँ ई-वोटिंग को चलाया जाता है तथा ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता को सीधा ही पहुँचा सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभृति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. यदि आपने एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा में पंजीकृत कर रखा है तो, कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाईट पर जाएं। निम्न यूआरएल https://eservices.nsdl.com को वेबब्राउजर को खोलने हेतु या व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाईल पर टाईप करें। जब ई-सर्विस का होम पेज लॉन्च हो जाता है तो, लाभकारी स्वामी पर, "लॉग-इन" आईकन के अंदर क्लिक करें, जोिंक आईडीईएएस खंड में उपलब्ध है। नई स्क्रीम खुल जाएगीं। अब आपको यूजर आई डी तथा पासवर्ड डालना होगा। सही प्रमाणीकरण के बाद, ई-वोटिंग सर्विस आपको मिल जाएगी। ई-वोटिंग सर्विस के तर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग पर क्लिक करें तथा ई-वोटिंग पंज को आप देख पाएगें। कंपनी के नाम पर क्लिक करें या ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर के नाम पर तथा ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर के नाम पर तथा ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर वेबसाईट को, वोट देने के लिए दूरस्थ वोटिंग अविधि में या आभासी बैठक में शामिल हेतु तथा बैठक में वोटिंग हेतु पुनः निर्देश दे सकते हैं। 2. यदि यूजर ने ईएएसआई/ईएएसआईईएसटी पर पंजीकृत नहीं किया है, तो https://eservices.nsdl.com इस पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है। आईडीईएएस पोर्टल पर पंजीकृत करें या इस https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्न यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ को वेब ब्राउजर को खोलने हेतु या व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाईल पर टाईप करें। जब ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च हो जाता है तो "लॉग-इन" आईकन के अंदर क्लिक करें, जोिक शेयरधारक/ सदस्य खंड के अंदर उपलब्ध है। नई स्क्रीन खूल जाएगी। अब आपको यूजर आई डी (एनएसडीएल सिहत 16 नं. का डीमेट खाता सं), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर पुष्टि कोड भी डालना होगा। सही प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साईट पर पुनः निर्देश किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर क्लिक करें या ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर नाम पर तथा ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर वेबसाईट को, वोट देने के लिए दूरस्थ वोटिंग अविधि में या आभासी बैठक में शामिल हेतु तथा बैठक में वोटिंग हेतु पुनः निर्देश दे सकते हैं।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमेट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉग- इन	एनएसडीएल/सीडीएसएल सिहत, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पंजीकृत के माध्यम से, आप अपने डीमेट खाते को परिचय पत्र को लॉग-इन के जिरए, ई-वोटिंग सुविधा हेतु लॉग-इन कर सकते है। लॉग-इन सफलता के बाद, आप ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करे, उसकी सही प्रमाणीकरण के बाद, आप तुरंत एनएसडीएल/सीडीएसएल को पुनः निर्देश करेगें, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर को देख सकते है। कंपनी के नाम पर क्लिक करें या ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर का नाम तथा दूरस्थ ई-वोटिंग के दौरान आप ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाईडर वेबसाईट को वोट हेतु दे सकते हैं।

Pursuant to above SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	 Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers. 1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com/ SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.



महत्वपूर्ण नोट:- जिस व्यक्तियों को अपना यूजर आई डी/पासवर्ड को पून: प्राप्त करने में असमर्थता है, वे उपरोक्त दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध फोगेट यूजर आईडी तथा फोगेट पासवर्ड का प्रयोग कर सकते है।

डिपोजिटरी के माध्यम से लॉग-इन के संबंध में कोई भी तकनीकी मुद्दे हेतु व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए डीमेट मोड़ में प्रतिभूतियाँ धारित की हुई है, हैल्पडैस्क में है, जैसे कि सीडीएसएल तथा एनएसडीएल:-

लॉग-इन प्रकार	हैल्पडैस्क विवरण
सीडीएसएल सिहत डीमेट मोड में व्यक्तिगत शेयरधारकों ने प्रतिभूर्ति धारित की हुई है।	सदस्यों को लॉग-इन करने में कोई भी तकनीकी मुद्दा आता है तो वे सीडीएसएल के हैल्पडैस्क पर helpdesk.evoting@cdslindia.com अपना आवेदन भेज सकते है। दूरभाष:- 022-23058738 तथा 22-23058542-43
एनएसडीएल सहित डीमेट मोड में व्यक्तिगत शेयरधारकों ने प्रतिभूर्ति धारित की हुई है।	सदस्यों को लॉग-इन करने में कोई भी तकनीकी मुद्दा आता है तो वे एनएसडीएल के हैल्पडैस्क पर evoting@nsdl.co.in अपना आवेदन भेज सकते है। या इस टोल फ्री न. पर संपर्क कर सकते है:- 18001020900 तथा 1800224430

v. ई-वोटिंग हेत् लॉग-इन विधि तथा भौतिक शेयरधारकों के लिए आभासी बैठक हेत् तथा डीमेट फॉर्म में व्यक्तिगत स्वामित्व से अतिरिक्त अन्य शेयरधारक।

- 1. शेयरधारकों को ई-वोटिंग साईट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग-ऑन करना चाहिए।
- 2. "शेयरधारक" मॉडयूल पर क्लिक करें।
- 3. अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें ।
 - i. सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी,
 - ii. एनएसडीएल हेत् : 8 अक्षरों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी,
 - ііі. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
- आगे प्रदर्शित हो रहे इमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें तथा लॉग-इन पर क्लिक करें।
- 5. यदि आपके पास शेयर डीमेट फॉर्म में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेत् मतदान किया है तो अपना वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- 6. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए कदमों का अनुसरण करे:

	भौतिक रूप में शेयरधारकों हेत् तथा अन्य व्यक्तिगत शेयरधारकों में डीमेट रुप में शेयरों का स्वामित्व
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक*पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है)
	 ऐसे सदस्य जिन्होनें अपना पैन, बैंक/डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपडेट नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या बैंक/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म- तिथि (डीओबी)	लॉग-इन के क्रम में, डीमेट खाते में या कंपनी के अभिलेख में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अपना लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (तिथि/माह/वर्ष के प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास अभिलेखित नहीं है तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में सदस्य संख्या आईडी/फोलियो नंबर जैसा कि निर्देश (v) में उल्लिखित है, प्रविष्ट करें।

- 7. इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात्, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- 8. सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। जबकि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड क्रिएशन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उन्हें अनिवार्ये रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया ध्यानपूर्वक नोट कॅरें कि यह पासवर्ड डीमेट धारकों द्वारा किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- 9. सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, विवरण का केवल उपयोग इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर ई-मतदान हेत् किया जा सकता है।

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

- v. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.
 - 1. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 - 2. Click on "Shareholders" module.
 - 3. Now enter your User ID
 - i. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - ii. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - iii. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
 - 4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 - 5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
 - 6. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat form				
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both				
	demat shareholders as well as physical shareholders)				
	• Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are				
	requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Company/RTA.				
Dividend	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your				
Bank Details	demat account or in the company records in order to login.				
OR Date of	• If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member				
Birth (DOB)	id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).				

- 7. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- 8. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- 9. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

10. प्रासंगिक (कंपनी का नाम) जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं, के लिए "ईवीएसएन" पर क्लिक करें।

- 11. वोटिंग पृष्ठ पर आप "रिजोल्यूशन विवरण" देखेंगे तथा उसके समक्ष मतदान के लिए हाँ/नहीं का विकल्प देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
- 12. यदि आप सभी प्रस्तावों को देखना चाहते हैं तब «रिजोल्यूशन फाइल लिंक» पर क्लिक करें।
- 13. वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा। यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैंसल" पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- 14. यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपने वोट की "पृष्टि" कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- 15. आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ "प्रिंट लेने हेत् यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक कर सकते हैं।
- 16. यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉगइन पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।

17. अवैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों हेतु अतिरिक्त सुविधा - रीमोट वोटिंग हेतु केवल

- अवैयक्तिक शेयरधारकों (जैसे वैयतिक्क के अतिरिक्त, संयुक्त हिंदू परिवार, एनआरआई इत्यादि) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉग-ऑन करना होगा और "कॉपरिट" के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर हो उसको helpdesk.evoting@cdslindia. com. पर ई-मेल कर देना चाहिए।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के बाद एडिमन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर बना लेना चाहिए। अनुपालन यूजर खाता(ओं) को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते है।
- लॉग-इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होगें।
- अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा की स्कैन प्रति, यदि कोई है, तो पीडीएफ प्रारूप को प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि उसको सत्यापित कर सके।
- वैकल्पिक रूप से अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सिहत संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकारी पत्र इत्यादि को ई-मेल पते अर्थात complianceofficer@psb.co.in पर संवीक्षक और कंपनी को भेजने की आवश्यकता होती है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और उसे सत्यापित करने के संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ई-मेल/मोबाईल नं., बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं :-

- भौतिक रूप में शेयरधारकों हेतु:- कृपया ई-मेल द्वारा complianceofficer@psb.co.in/delhi@linkintime.co.in को आवश्यक जानकारी जैसे फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्केन प्रति (आगे और पृष्ठ भाग की), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन प्रति) उपलब्ध कराएं।
- 2. डीमेट शेयरधारकों हेतु:- कृपया ई-मेल आई डी तथा मोबाईल नं. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(डीपी) को अद्यतन कराएं।
- उयिक्तिगत डीमेट शेयरधारकों हेतु:- कृपया ई-मेल आई डी तथा मोबाईल नं. अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(डीपी) को अद्यतन कराएं जोकि ई-वोटिंग तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्च्अल मीटिंग में शामिल होने में जरूरी है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :

- 1. एजीएम के दिन बैठक तथा ई-वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेना, दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- 2. बैठक में भाग लेने हेतु वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक, सही लॉग-इन करने के बाद ही उपलब्ध होगा, जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे दूरस्थ ई-वोटिंग हेत् उपरोक्त दिशा-निर्देश दिए गए है।

- 10. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- 11. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- 12. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- 13. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- 14. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- 15. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- 16. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

17. Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians - For remote Voting only

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

- 1. For Physical shareholders Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in.
- 2. For Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
- 3. For Individual Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE MEETING **ARE AS UNDER:**

- 1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- 2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of the Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

3. दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

- बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को लेपटॉप/आईपेड्स के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- बैठक के दौरान किसी भी गडबड़ी से बचने के लिए शेयरधारकों को कैमरे की अनुमित देने तथा अच्छी गित के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
- 6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/विडियों घटने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी प्रकार के पूर्वोक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन के उपयोग की अनुशंसा की जाती है।
- 7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकृत कर सकते हैं। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रश्न है बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न अग्रिम में complianceofficer@psb.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ई-मेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
- 8. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमित होगी।
- 9. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
- 10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और यदि उन शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

यदि एजीएम में सहभागिता करने व सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के ई-वोटिंग संबंधी कोई प्रश्न या समस्या है तो, उसके लिए आप ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या 022- 23058738 तथा 022-23058542/43 पर संपर्क करें।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, विरष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल), केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचरेक्सम, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 से संपर्क किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

7. संवीक्षक

बैंक द्वारा श्री एस. एन. अनंतसुब्रमण्यमः एवं सीओ, कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एजीएम संपन्न होने के 48 घंटे के भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और शेयर बाजारों व बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट प्रदर्शित करके तुरंत मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

8. शेयर अंतरण एजेंट के साथ संप्रेषण :

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से अनुरोध है कि उनके ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों/अद्यतन, यदि कोई है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना बैक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें : - 3. Shareholders who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

- 4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
- 5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- 7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast 48 hours prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance 48 hours prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. These queries will be replied to by the company suitably by email.
- 8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
- 9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
- 10. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

7. SCRUTINIZER

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

8. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नंबर -एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक

सावित्री मार्केट के पास, जनकप्री, नई दिल्ली-110058

दुरभाष : +91 11 4141 0592, 93, 94, फैक्स : +91 11 4141 0591

ई-मेल : delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन यदि हो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना अपने डिपॉजिटरी सहभागी को दें।

9. लाभांश का भ्गतान

वर्ष 2020-2021 के लिए बैंक द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

10. अदत्त/ दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो :

जिन शेयरधारकों ने अपने पिछले वर्ष के लिए लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है, से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से दर्शाए गए पूर्वोक्त पते पर या प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

11. फोलियों का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.िल. (आरटीए) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियों के विषय में सूचित करें तािक बैंक एक फोलियों में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। नियत समय में आवश्यक पृष्ठांकन पश्चात शेयर प्रमाण-पत्र शेयरधारकों को वापस कर दिए जाएंगे।

12. शेयरधारकों के मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केंन्द्र सरकार के अतिरिक्त, यदि बैंक के किसी भी शेयरधारक द्वारा बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक का शेयर रखा जाता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा।

बैंक सभी शेयरधारकों को कार्यसूची मदों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। एजीएम के ई-वोट/वोट की पात्रता के लिए निर्दिष्ट तारीख 13 जुलाई, 2021 है। ई-वोटिंग की अविध 16 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 19 जुलाई, 2021 को अपराह्न 5.00 बजे समास हो जाएगी। इसके पश्चात शेयरधारक ई-वोटिंग नहीं कर सकेंगे। लॉग-इन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया के लिए विवरण संलग्न है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रिजस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही ई-एजीएम में भाग लेने और कार्यसूची पर या तो दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होगा।

13. अन्य सूचनाएं

- a) उपरोक्त सेबी तथा एमसीए परिपत्र के अनुपालन में, 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें बैंक की 11 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना शामिल है, अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके को इंगित करता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी शेयरधारकों के लिए जिनके ईमेल आईडी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात "लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"/ निक्षेपागार सहभागियों (ओं) के साथ पंजीकृत हैं, को प्रेषित करता है।
- b) एजीएम आयोजन के लिए नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर देखा जा सकता है अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। एजीएम नोटिस को सीडीएसएल की वेबसाइट (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए एजेंसी) यानी www. evotingindia.com पर भी प्रसारित किया जाता है।

Link Intime India Private Limited.

Unit: Punjab & Sind Bank

Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,

Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591

Email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

9. PAYMENT OF DIVIDEND

No dividend has been declared by the Bank for the year 2020-2021.

10. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Registrar & Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to cast vote through remote e-voting/ e-voting at AGM is 13 July, 2021. The e-voting period shall commence on at 10:00 a.m. on 16 July, 2021 and end at 05:00 p.m. on 19 July, 2021 beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the e-AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the e-AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

13. OTHER INFORMATION

- a) In compliance with the aforesaid SEBI & MCA Circulars, the Annual Report for 2020-21 containing the Notice of the 11th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. "Link Intime India Private Limited" / Depository Participant(s).
- b) The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.psbindia.com. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

हैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक

c) बैंक द्वारा किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डीमेट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में और अपने बैंक के आरटीए के साथ भौतिक रूप (आरटीए की ईमेल आईडी: delhi@linkintime.co.in) में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी प्राप्त करें। इसके अलावा, परिवर्तन के मामले में, यदि कोई हो, उनके नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन / मोबाइल नंबरों, स्थायी खाता संख्या (पैन), जनादेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि, उनके द्वारा डीपी को सूचित किया जा सकता है, यदि उनके द्वारा शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और आरटीए को शेयरों को भौतिक रूप में रखा जाता है।

14. शेयर प्रकोष्ठ

शेयरधारकों को त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में एक शेयर प्रकोष्ठ की स्थापना की है, शेयरधारक इस सेल में किसी भी सहायता के लिए निम्न उल्लिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी सचिव,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, शेयर प्रकोष्ठ, लेखा व लेखा परीक्षा विभाग, 21 राजेन्द्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली-110008

दूरभाष: 011-25782926, 25812922 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in.

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 2

- a) मार्च 31, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में बैंक में ₹ 4835.11 करोड़ के प्रतिभूति प्रीमियम राशि के विरूद्ध ₹ 3,577.55 करोड़ की संचित हानि शेष है। संचित हानि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में समान राशि के साथ समायोजित करने का प्रस्ताव है। पूर्वोक्त प्रस्तावित प्रतिभूति प्रीमियम में कमी का प्रभाव, यदि स्वीकृत किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है तो संचित हानि जो 31.03.2021 को ₹ 3,577.55 करोड़ था, तदनुसार कम हो जाएगा।
- b) प्रस्तावित सेट ऑफ बैंक के वित्तीय स्थिति का यथार्थ और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी रेशो यथा प्रति शेयर बही मूल्य, इक्विटी का प्रतिफल (आरईओ), प्रति शेयर आय (ईपीएस) इत्यादि को प्रभावित नहीं करेगा।
- c) बैंक का विचार है कि वर्तमान परिदृश्य में यह बैंक के पास उपलब्ध यह सबसे व्यावहारिक तथा आर्थिक दृष्टि से प्रभावी विकल्प है, जिससे बैंक के वितीय स्थिति का यथार्थ और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- d) बैंक अपनी यथार्थ वितीय स्थिति प्रस्तुत करने में सक्षम होगा जिससे शेयरधारकों को लाभ होगा क्योंकि उनकी धारिता से अपेक्षाकृत अधिक मूल्य मिलेगा तथा उचित समय-सीमा के भीतर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान के रूप में बैंक के शेयरधारकों के लाभ के अवसरों का पता लगाने में भी बैंक को सक्षम करेगा। यह प्रस्ताव समयबद्ध तरीके से अपने प्रतिवर्तन योजना को प्राप्त करने के लिए बैंक को बेहतर स्थिति में लाएगा।
- e) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 किसी भी चुकता पूंजी जो लुप्त हो गई है या उपलब्ध परिसंपत्तियों द्वारा अपूर्वदृष्ट है, को रद्द करके अपनी चुकता पूंजी को कम करने के लिए उपबंधित करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) संशोधित योजना, 2020 द्वारा यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 राष्ट्रीयकृत बैंक को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में संदर्भित चुकता-पूंजी में कमी के लिए समान प्रक्रिया का पालन करके अपने शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि को विनियोजित करने की अनुमित देता है।

c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@linkintime.co.in). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

14. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi. Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance.

The Company Secretary,
Punjab & Sind Bank,
Head Office, Shares Cell,
Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, 1st floor,
New Delhi-110008

Telephone: 011-25782926, 25812922 E-mail: complianceofficer@psb.co.in

Explanatory Statement

Agenda Item No. 2

- a) As on March 31, 2021, Bank is having a balance of accumulated losses of Rs.3,577.55 crore as against the Securities Premium amount of Rs.4835.11 crore in the Balance Sheet. It is proposed to set off the accumulated losses with an equal amount lying in the Securities Premium Account. The effect of the aforesaid proposed Securities Premium reduction, if approved and finalized would be that the accumulated losses which as on 31st March 2021 stood at Rs.3,577.55 crore will accordingly stand reduced.
- b) The proposed set off will present the true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book Value per share, Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS) etc.
- c) The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.
- d) The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit the shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also place the Bank in a better position to achieve its Turnaround plan in a time-bound manner.
- e) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost or is unrepresented by available assets. Further, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended by Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020 allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

f) चूंकि संचित हानि की भरपाई के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम खाते के प्रस्तावित उपयोग को पूंजी में कमी माना जाएगा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 (2 बीबीए) के प्रावधानों के अनुसरण में विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है।

- g) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) उपबंधित करता है कि जहाँ बैंक, आरक्षित निधि या शेयर प्रीमियम खाते के लिए राशि या धनराशि विनियोजित करता है, तब वह ऐसे विनियोग संबंधी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुए उस बात की रिपोर्ट, ऐसे विनियोग की तारीख से 21 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक को देगा। बैंक निर्धारित समायविध के भीतर इस अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा। आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2006-07/132; डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 31/21.04.018/2006-007 दिनांकित सितंबर 20, 2006 के अनुसार, सांविधिक रिज़र्व या किसी अन्य रिज़र्व से विनियोजित किए जाने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- h) शेयर प्रीमियम खाते में कमी जिसमें शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि को कम करके लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष को सेट ऑफ करना शामिल करना है, के लिए बैंक द्वारा अपने शेयरधारकों हेतु किसी भी विचार का निर्वहन आवश्यक नहीं है। तदनुसार, शेयर प्रीमियम खाते में कमी पश्चात बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। शेयर का अंकित मूल्य भी अपरिवर्तित रहेगा।

शेयरधारिता स्वरूप:

	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते में कटौती से पूर्व		शेयर प्रीमियम खाते में कटौती के पश्चात	
क्र. स.		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
A	प्रवर्तकों की धारिता - भारत सरकार	3933932610	97.07	3933932610	97.07
В	गैर-प्रवर्तकों की धारिता - सार्वजनिक	118735354	2.93	118735354	2.93
	क्ल	4052667964	100.00	4052667964	100.00

- i) शेयरधारकों के अधिकार प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होते हैं।
- j) विशेष संकल्प के संदर्भ में बैंक की संचित हानि का प्रस्तावित सेट ऑफ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होगा। निदेशक मंडल ने बैंक और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है और इसलिए शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 2 में निर्धारित विशेष संकल्प की अनुशंसा की है।

बैंक में अपनी शेयरधारिता (यदि हो) के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके रिश्तेदारों को पूर्वोक्त संकल्प में हितबद्ध या संबंधित नहीं माना जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नर्ड दिल्ली

एस. कृष्णन

दिनांक : 23.06.2021

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

f) As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off of accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of shareholders of the Bank by way of Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980

- g) Section 17(2) of the Banking Regulation Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums for the Reserve Fund or the Share Premium account, it shall within 21 days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank of India, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period. In terms of RBI Circular No. RBI/2006-07/132; DBOD. BP.BC.No.31/21.04.018/2006-007 dated September 20, 2006, prior approval of Reserve Bank of India is required before appropriation is made from the statutory reserves or any other Reserves.
- h) The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in Profit and Loss Account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and the shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Shareholding pattern:

SI No	Category	Prior to the reduction of Share Premium Account		After the reduction of Share Premium Account	
SI. No.		No of shares held	Percentage of shareholding	No of shares held	Percentage of shareholding
А	Promoter's Holding – Government of India	3933932610	97.07	3933932610	97.07
В	Non-Promoter Holding – Public	118735354	2.93	118735354	2.93
	Total	4052667964	100.00	4052667964	100.00

- i) The rights of the shareholders are not prejudicially affected.
- j) The proposed Set Off of the Accumulated Losses of the Bank in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

The Board of Directors has approved the above proposal of utilization of Share Premium Account in the best interests of the Bank and its shareholders and therefore recommend the Special Resolution as set out in Item No 2 of the Notice for approval by the shareholders.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforesaid resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi S Krishnan

Date: 23.06.2021 Managing Director & CEO